

न्यायालय—दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
तहसील बैहर, जिला—बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-978 / 2011

संस्थित दिनांक-16.12.2011

फाईलिंग क्र.234503000972011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पुलिस चौकी उकवा,
आरक्षी केन्द्र—रूपझर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — अभियोजन

// विरुद्ध //

भरत मेरावी पिता प्रेमसिंह मडावी उम्र-28 वर्ष, जाति गोंड,
निवासी—पिंडकेपार, पुलिस चौकी उकवा,
थाना रूपझर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक-31/10/2017 को घोषित)

1— अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 324, 506 भाग-2 का आरोप है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक-20.11.2011 को शाम करीब 09:30 बजे ग्राम पिंडकेपार अंतर्गत थाना रूपझर चौकी उकवा तह. बैहर जिला बालाघाट जो लोकस्थान या उसके समीप है पर प्रार्थी राधेलाल को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर आहत राधेलाल को बायें पैर जांघ में एवं बायें हाथ भुजा में दांत से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित कर, फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक-20.11.2011 को फरियादी रोधलाल पन्दे ने पुलिस चौकी उकवा, थाना रूपझर में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी कि दिनांक-20.11.2011 को सुबह के 09:30 बजे गांव का भरत मेरावी उसकी पत्नी रेवन्तीबाई को एक बार काम करने देने का बोला था उक्त बात उसकी पत्नी ने उसे बतायी थी। तब राधेलाल अभियुक्त से बोला था कि ऐसा क्यों बोलता है इस बात पर अभियुक्त ने उसे मां बहन की गंदी-गंदी गालियां दी थी। अभियुक्त ने फरियादी को बायें पैर की जांघ और बायें हाथ भुजा में दांत से

काट लिया था। फरियादी की पत्नी रेवन्तीबाई बीच बचाव करने आई थी तो अभियुक्त ने उसके साथ भी मारपीट की थी और फरियादी को साले मादरचोद कहकर जान से खत्म कर देने की धमकी दी थी। घटना होते हुए सुरेश, हिडाबाई ने देखी एवं सुनी थी। पुलिस थाना रूपझर ने फरियादी का मेडीकल परीक्षण कराकर फरियादी की रिपोर्ट पर से थाने में अपराध क्रमांक-139/2011 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोगपत्र प्रस्तुत किया था।

3- अभियुक्त पर तत्कालीन पूर्व पीठासीन अधिकारी ने निर्णय के पैरा 1 में उल्लेखित धाराओं का आरोप विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया था तो अभियुक्त ने अपराध करना स्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।

4- अभियुक्त का धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्त का कहना है कि वह निर्दोष है, उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया था।

5- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित हैं:-

1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक-20.11.2011 को शाम करीब 09:30 बजे, ग्राम पिण्डकेपार अंतर्गत थाना रूपझर चौकी उकवा तह. बैहर जिला बालाघाट जो लोकस्थान या उसके समीप है पर प्रार्थी राधेलाल को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?

2. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत राधेलाल को बायें पैर जांघ में एवं बायें हाथ भुजा में दांत से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

3. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

विवेचना एवं निष्कर्ष :-

6- साक्ष्य की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस कारण सभी विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

7- राधेलाल अ.सा.1 का कथन है कि वह अभियुक्त को जानता है। अभियुक्त उसके गांव का हैं। घटना साक्षी के न्यायालयीन कथनों से एक वर्ष पूर्व की दिन के लगभग 10:00 बजे की है। अभियुक्त घटना दिनांक के साक्षी की पत्नी के उपर बैठ गया था एवं उसकी पत्नी से कहा था कि एक बार करूंगा। उक्त बात साक्षी को उसकी पत्नी ने बतायी थी। तब साक्षी ने अभियुक्त से कहा था कि उसकी पत्नी को ऐसा क्यों बोला एवं साक्षी ने अभियुक्त को दो छापड़ मार दिये थे। तब अभियुक्त ने दौड़कर फरियादी को बायें हाथ एवं पैर में काट लिया था। साक्षी की पत्नी ने अभियुक्त को एक उभारी मारी थी। साक्षी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस चौकी उकवा में दर्ज करायी थी, रिपोर्ट पर साक्षी ने अंगूठा लगाया था। पुलिस ने साक्षी का बालाघाट अस्पताल में ईलाज कराया था एवं साक्षी के कथन लिये थे। अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने सुझाव में यह अस्वीकार किया है कि उसका चिकित्सीय परीक्षण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परसवाड़ा में हुआ था।

8- रेवंतीबाई अ.सा.3 का कथन है कि आहत राधेलाल उसका पति है। घटना उसके न्यायालयीन कथनों से दो वर्ष पूर्व की सुबह के 10-11 बजे गाय के आखरे वाले स्थान की है। घटना दिनांक को अभियुक्त ने साक्षी के बक्खे को पकड़ा था और कहा था कि एक बार करूंगा। उक्त बात साक्षी ने उसके पति को बतायी थी। तब साक्षी के पति ने अभियुक्त को दो छापड़ मार दिये थे। अभियुक्त ने साक्षी के पति की जांघ में दांत से काट लिया था। पुलिस ने साक्षी के बयान लिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि वह घटनास्थल पर नहीं थी घटना कैसे हुई वह नहीं बता सकती है। इस साक्षी ने उसके प्रतिपरीक्षण की साक्ष्य में घटना के संबंध में अनभिज्ञता प्रकट की है।

9- सुरेश अ.सा.2, इंद्रकला अ.सा.04 का कहना है कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं है। दोनों साक्षीगण को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर दोनों साक्षीगण से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर दोनों साक्षीगण ने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है। सुरेश अ.सा.02 का प्रतिपरीक्षण में कथन है कि अभियुक्त एवं फरियादी की पुरानी लड़ाई चल रही थी इस कारण फरियादी ने अभियुक्त के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट लिखायी थी।

10- जैतलाल बछले अ.सा.10 का कथन है कि घटना भरत के घर आंगनवाड़ी के सामने की शाम के चार बजे की है। परंतु घटना कब की है साक्षी को पता

नहीं है। फरियादी शराब पीकर आया था और ग्राम पिंडकेपार की आंगनवाड़ी के सामने एकदम से गिर गया था। फरियादी और उसकी पत्नी दोनों शराब पीकर आपस में लड़ रहे थे। भरत बीच बचाव करने गया था लेकिन भरत ने किसी से मारपीट नहीं की थी। अभियुक्त ने राधेलाल को नहीं मारा था ना ही अभियुक्त ने फरियादी को मां-बहन की अश्लील गालियां देकर जान से मारने की धमकी दी थी। साक्षी ने उसके पुलिस कथन प्र.पी.09 के ए से ए भाग का कथन पुलिस को लिखाने से इंकार किया है। इस साक्षी की साक्ष्य से घटना का समर्थन नहीं होता है।

11- डा. बासु क्षत्रिय अ.सा.09 का कथन है कि वह दिनांक 20.11.2011 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उकवा में असिस्टेंट सर्जन के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को आरक्षक बुधलाल थाना रूपझर से आहत राधेलाल को परीक्षण के लिए लेकर आया था। साक्षी ने आहत का परीक्षण कर उसे निम्न उपहतियां पायीं थीं- चोट क01 आहत के बताये अनुसार दाएं हाथ के उपरी हिस्से में दांत से काटने की चोट पायी थी। चोट क02 आहत के बाईं जांघ पर साधारण प्रकृति की चोट थी। चिकित्सक ने आहत को बालाघाट अस्पताल में ईलाज के लिए रिफर कर दिया था। साक्षी द्वारा की गयी मेडीकल जांच परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.08 है जिस पर साक्षी के अ से अ भाग पर हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में चिकित्सक ने स्वीकार किया है कि तेज भागते हुए पथरीली जमीन पर गिर जाने से आहत को आई हुई चोट जैसी चोट आना संभव था।

12- ए.पी.अरोरा अ.सा.05 का कथन है कि वह दिनांक 21.11.2011 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में दंत चिकित्सक के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को पुलिस चौकी उकवा से आरक्षक क 697 आहत राधेलाल को मेडीकल परीक्षण के लिए लेकर आया था। उक्त साक्षी ने आहत को निम्न उपहतियां पायीं थीं- चोट क01 आहत के बाएं हाथ के कंधे के पास एक सीधी लाइन में सुपर फिशियल एब्रेजन था। परंतु उसमें दांत के काटने के कोई निशान मौजूद नहीं थे। उसका आकार ढेड इंच गुणा तीन मिमि था। चोट क02 आहत की बाईं जांघ में एक सुपर फिशियल एब्रेजन था, जिसका आकार एक चौकोर आयताकार आकार में था परंतु उस पर भी कोई चोट के निशान नहीं थे जिसका आकार एक इंच गुणा एक इंच था। चिकित्सक के अभिमत में आहत को दोनों चोटें किसी कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आ सकती थीं। उनमें कोई विकृति नहीं थी। उक्त चोट

मेडिकल परीक्षण के समय 24 घण्टे की होकर साधारण प्रकृति की थी। चिकित्सक की परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.03 है जिस पर ए से ए भाग पर चिकित्सक के हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में चिकित्सक साक्षी ने बताया है कि आहत की चोट पथरीले स्थान पर गिरने से आ सकती थी।

13— कपूर बिसेन अ.सा.07 का कथन है कि वह दिनांक 20.11.2011 को पुलिस चौकी उकवा थाना रूपझर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को फरियादी राधेलाल ने अभियुक्त के विरुद्ध रिपोर्ट लिखायी थी। उक्त साक्षी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.04 शून्य पर पंजीबद्ध कर असल कायमी के लिए थाना रूपझर भेजी थी। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि फरियादी ने रिपोर्ट पर जहां अंगूठा लगाया था वहां उसका नाम नहीं लिखा है।

14— चित्रराज बागड़े अ.सा.08 का कथन है कि वह दिनांक 20.11.2011 को थाना रूपझर में प्रधान आरक्षक मोहररि के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को आरक्षक 697 पुलिस चौकी उकवा के द्वारा अपराध क्र. 0/11 की रिपोर्ट असल कायमी के लिए थाना रूपझर में लाकर दी थी तब इस साक्षी ने प्र.पी.05 की प्रथम सूचना रिपोर्ट की असल कायमी की थी।

15— जगदीश गेडाम अ.सा.06 का कथन है कि वह दिनांक 20.11.2011 को पुलिस चौकी उकवा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ थे। प्रधान आरक्षक चित्रराज बागड़े के द्वारा अपराध क्रमांक 139/11 की रिपोर्ट लेखबद्ध की थी जो प्र.पी.05 है। इस साक्षी को प्रकरण की केस डायरी प्राप्त होने पर इस साक्षी ने फरियादी की निशांदाही पर घटनास्थल का नजरी नक्शा प्र.पी.06 तैयार किया था एवं साक्षी रेवन्तीबाई, इंद्रकलाबाई, जैतलाल, राधेलाल एवं सुरेश के बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। अभियुक्त को प्र.पी.05 के गिरफ्तारी पंचनामा के द्वारा गिरफ्तार किया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि प्र.पी.04 की रिपोर्ट में उसने निशानी अंगूठा वाले व्यक्ति का नाम नहीं लिखा है। रिपोर्ट के कालम नम्बर-5 में सफेदा लगा हुआ है।

16— प्रश्नाधीन प्रकरण में सुरेश अ.सा.02, इंद्रकला अ.सा.04 घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं। इन साक्षीगण ने एवं जैतलाल अ.सा.10 ने उनकी साक्ष्य में घटना का समर्थन नहीं किया है। फरियादी राधेलाल अ.सा.01 एवं उसकी पत्नी रेवन्तीबाई अ.सा.03 ने उनकी साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि अभियुक्त ने घटना के समय फरियादी को कोई अश्लील शब्द बोले हों एवं अश्लील गालियां दी हों।

इन साक्षीगण ने उनकी साक्ष्य में यह भी नहीं बताया है कि अभियुक्त ने फरियादी को जान से मारने की धमकी दी हो। इस कारण यह प्रमाणित नहीं माना जाता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी को लोक स्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं सुनने वालों को क्षोभ कारित कर फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया हो।

17— प्रकरण में राधेलाल अ.सा.01 के साथ मारपीट किये जाने का प्रश्न है इस संबंध में राधेलाल अ.सा.01 ने उसकी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि अभियुक्त ने दौड़कर राधेलाल के बायें हाथ और बायें पैर में काट लिया था। राधेलाल को अभियुक्त द्वारा दांत से काटने के संबंध में राधेलाल की पत्नी रेवन्तीबाई अ.सा.03 ने उसकी मुख्य परीक्षण की साक्ष्य में बताया था। परंतु रेवन्तीबाई ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार है कि वह घटनास्थल पर उपस्थित नहीं थी घटना कैसे हुई वह नहीं बता सकती। इस कारण रेवन्तीबाई की साक्ष्य से अभियोजन पक्ष की घटना का समर्थन नहीं होता है। चिकित्सक ए.पी.अरोरा अ.सा.05 ने आहत को बाएं हाथ के कंधे के पास सीधी लाईन में एवं बाएं जांघ में सुपर फिसियल एब्रेजन पायीं थी एवं चिकित्सक बासु क्षत्रिय अ.सा.09 ने आहत को मेडीकल परीक्षण के समय दायें हाथ के उपरी हिस्से में दांत से काटने की उपहति पायी थी। चिकित्सक ने इस संबंध में प्र.पी.08 की मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट दी है। राधेलाल अ.सा.01 की प्र.पी.04 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह लिखा है कि अभियुक्त ने राधेलाल को बाएं पैर की जांघ एवं बायें हाथ की भुजा में दांत से काटा था। राधेलाल अ.सा.01 ने उसकी साक्ष्य से प्र.पी.04 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखायी गयी बायें पैर एवं बायें हाथ की उपहति की पुष्टि की है। राधेलाल की उपहति की समर्थन चिकित्सक ए.पी.अरोरा अ.सा.05 की साक्ष्य एवं प्र.पी.03 की मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट से होता है। चिकित्सक बासु क्षत्रिय अ.सा.09 की साक्ष्य से भी आहत की बायीं जांघ की उपहति का समर्थन होता है। राधेलाल अ.सा.01 ने उसकी साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा कारित की गयी चोटों का समर्थन किया है। इस कारण यह प्रमाणित माना जाता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को दांत से काटकर उसे उपहति कारित की थी।

18— प्रकरण की उपरोक्त विवेचना में अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 506 भाग-2 का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 506

भाग-2 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। प्रकरण की विवचेना में अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 का आरोप प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

19. अभियुक्त को दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया।

(दिलीप सिंह)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, तहसील बैहर,
जिला-बालाघाट म.प्र.

// दण्डाज्ञा //

20. अभियुक्त को आपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा-4 के उपबंधों का लाभ दिये जाने पर विचार किया गया। अभिलेख पर अभियुक्त के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि नहीं है। किन्तु अभियुक्त द्वारा किये गये अपराध को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को उक्त उपबंधों का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रकट नहीं होता है।

21. दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त के अधिवक्ता श्री यशवंत धुर्वे को सुना गया। अभियुक्त के अधिवक्ता का कहना है कि अभियुक्त के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया जावे। अभियुक्त को कम से कम सजा से दंडित किया जावे। अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 के आरोप में न्यायालय उठने तक के कारावास से एवं 300/- (तीन सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि का भुगतान नहीं किये जाने पर अभियुक्त को 15 दिन का साधारण कारावास भुगताये जावे। प्रकरण लगभग छः वर्ष से लंबित होकर पांच वर्ष से अधिक पुराना है। प्रकरण के विचारण के दौरान अभियुक्त ने निरंतर प्रकरण की पेशियों का सामना किया है। आहत को केवल खरौंच की दो चोंटें आयी हैं। इस कारण अभियुक्त को कम दण्ड से दण्डित किया गया है। अभियुक्त को दिये गये दण्ड से न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है।

22. अभियुक्त का धारा-428 दं.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

23. प्रकरण में अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(दिलीप सिंह)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, तहसील बैहर,
जिला-बालाघाट

(दिलीप सिंह)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, तहसील बैहर,
जिला-बालाघाट